

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता , बुण्डू (राँची)

RM वाद संख्या-117/12-13

छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46

7/6/13

आदेश

विक्रेता का नाम एवं पता - श्री गौरमोहन सिंह मुण्डा पिता-स्व0 पंचानन सिंह मुण्डा  
ग्राम-ईचाडीह पोस्ट-उलीडीह थाना-तमाड़  
जिला-राँची।

क्रेता का नाम एवं पता- गीता कुमारी मुण्डा पिता-श्री ज्ञान चन्द्र सिंह मुण्डा  
ग्राम-गेड़ेडीह पोस्ट-जिलींगसेरेंग थाना-तमाड़  
जिला-राँची।

विद्वान अधिवक्ता का नाम- श्री रमेश महतो।

विक्रेता ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक-04/01/13 को क्रेता गीता कुमारी मुण्डा पिता-श्री ज्ञान चन्द्र सिंह मुण्डा ग्राम-गेड़ेडीह पोस्ट-जिलींगसेरेंग थाना-तमाड़ जिला-राँची के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री की अनुमति माँगी है।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना नं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा
ईचाडीह	197	20	441	0.34 ए0 मध्ये 0.17 ए0
			442	0.33 ए0 मध्ये 0.16 1/2 ए0
			463	0.29 ए0 मध्ये 0.14 1/2 ए0
			464	0.31 ए0 मध्ये 0.15 1/2 ए0
			465	0.12 ए0 मध्ये 0.06 ए0
कुल-				0.69 1/2 ए0

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी , तमाड़ से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई । साथ ही साथ सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम इस्तेहार भी निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी ,तमाड़ के पत्रांक-234(II) दिनांक-17/04/13 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। ( अभिलेख के साथ संलग्न ) जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :-

- (क) प्रस्तावित जमीन के खतियानी रैयत का नाम मंसा मुण्डा दर्ज है तथा पंजी-11 में रैयत का नाम सदानन्द सिंह मुण्डा वगैरह दर्ज है।
- (ख) उपरोक्त भूमि के विक्रय के उपरांत आवेदक के पास 0.69 1/2 एकड़ भूमि शेष बच जाती है।
- (ग) आवेदक को अपनी आवश्यक पारिवारिक कार्य के लिए पैसों की आवश्यकता है इसलिए भूमि की बिक्री करना चाहते हैं।
- (घ) दोनों क्रेता एवं विक्रेता अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं ,एवं एक ही थाना क्षेत्र तमाड़ के निवासी हैं।

उपरोक्त प्रतिवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, तमाड़ ने छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत विक्रेता श्री गौरमोहन सिंह मुण्डा पिता-स्व0 पंचानन सिंह मुण्डा ग्राम-ईचाडीह पोस्ट-उलीडीह थाना-तमाड़ जिला-राँची को क्रेता गीता कुमारी मुण्डा पिता-श्री ज्ञान चन्द्र सिंह मुण्डा ग्राम-गेड़ेडीह पोस्ट-जिलींगसेरेंग थाना-तमाड़ जिला-राँची के हाथों प्रस्तावित भूमि के विक्रय करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

न्यायालय के द्वारा दिनांक-08/01/13 को निर्गत आम इस्तहार का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नहीं की है।


पुनः दिनांक-27/04/13 को विक्रेता एवं क्रेता का बयान न्यायालय में दर्ज किया गया। दिए गए बयान से स्पष्ट है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री विक्रेता के द्वारा अपनी आवश्यक पारिवारिक कार्य हेतु किया जाना है।

अतः अंचल अधिकारी, तमाड़ की अनुशंसा एवं विक्रेता के बयान के आलोक में निम्नलिखित भूमि को विक्रेता श्री गौरमोहन सिंह मुण्डा पिता-स्व0 पंचानन सिंह मुण्डा ग्राम-ईचाडीह पोस्ट-उलीडीह थाना-तमाड़ जिला-राँची को क्रेता गीता कुमारी मुण्डा पिता-श्री ज्ञान चन्द्र सिंह मुण्डा ग्राम-गेड़ेडीह पोस्ट-जिलींगसेरेंग थाना-तमाड़ जिला-राँची के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत दी जाती है। आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम पर नहीं करेंगे।


भूमि का वितरण

मौजा	थाना नं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा
ईचाडीह	197	20	441	0.34 ए0 मध्ये 0.17 ए0
			442	0.33 ए0 मध्ये 0.16 1/2 ए0
			463	0.29 ए0 मध्ये 0.14 1/2 ए0
			464	0.31 ए0 मध्ये 0.15 1/2 ए0
			465	0.12 ए0 मध्ये 0.06 ए0
कुल-				0.69 1/2 ए0

लेखापित एवं संशोधित



भूमि सुधार उप समाहर्ता ,  
बुण्डू राँची।



भूमि सुधार उप समाहर्ता ,  
बुण्डू राँची।